

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या :1030-वि०प०(21)/पाकालि/2014-3(2)वीपी/90 टी०सी०-11

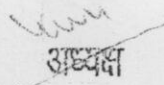
दिनांक :अगस्त 11, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०-920-विप(21)/पाकालि/2014-3(2)वीपी/90 टी०सी०-11, दिनांक 15.07.2014 जिसके द्वारा सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में योजित **वाणिज्यिक वादों** की पैरवी हेतु स्थाई अधिवक्ताओं तथा पैनल अधिवक्ताओं को नामित करने का अधिकार सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशकों को प्रदान किया गया था, के तारतम्य में सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में योजित **गैर-वाणिज्यिक वादों** की पैरवी हेतु भी स्थाई अधिवक्ताओं तथा पैनल अधिवक्ताओं को नामित करने का अधिकार एतद्वारा सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक को प्रदान किया जाता है।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०-214-विप(21)/पाकालि/2014-3(3)वीपी/94 दिनांक 17.02.2014 में निहित व्यवस्थानुसार स्थायी अधिवक्ताओं को देय रिटेनरशिप फीस का भुगतान करने का अधिकार सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशकों को प्रदान किया जाता है।

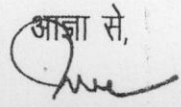
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा कार्यालय ज्ञाप सं०-920-विप(21)/पाकालि/2014-3(2)वीपी/90 टी०सी०-11, दिनांक 15.07.2014 को उक्त सीमा तक संशोधित करते हुये कार्यालय ज्ञाप में निर्धारित अन्य प्रक्रिया/शर्तें यथावत् रहेंगी।


अध्यक्ष

संख्या :-1030(1)वि०प०(21)/पाकालि/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2-निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०) महोदय के निजी सचिव उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3-समस्त निदेशक, उ०प्र० पाकालि/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4-समस्त अधिकारी, विधि स्कन्ध, उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5-प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल/पश्चिमान्वल/मध्यान्वल/दक्षिणान्वल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/
आगरा/कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि कारपोरेशन पैनल पर गैर-वाणिज्यिक वादों हेतु नामित पैनल अधिवक्ताओं/
स्थायी अधिवक्ताओं की अद्यतन सूची, अधिवक्ता नियुक्ति प्रक्रिया, पैनल अधिवक्ताओं/स्थायी अधिवक्ताओं को देय फीस/रिटेंनरशिप
फीस संबंधी कारपोरेशन के आदेश इस पत्र के साथ संलग्न है।
- 6-उपविधि अधिकारी, /समस्त सहायक विधि अधिकारी, पश्चिमान्वल/पूर्वान्वल/ मध्यान्वल/दक्षिणान्वल वि०वि०नि०लि०, मेरठ/वाराणसी/
लखनऊ/आगरा।
- 7-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8-समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पा०का०लि० ।
- 9-मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10-उप महप्रबन्धक (लेखा)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- ✓ 11-अधिशासी अभियन्ता, वेब साइट, कमरा नं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ ।


(ए०पी० मिश्रा)
प्रबन्ध निदेशक